प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लखन यादव पुत्र श्री गया प्रसाद, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लखन यादव पुत्र श्री गया प्रसाद (दिनांक 18.05.2024 तक बंदी की आयु 60 वर्ष) जो ग्राम-मैरी, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का निवासी है। पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.2007 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दुक, देशी पिस्टल व राइफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण जी०एस०टी० नं0-92/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गिरोहबन्द अधिनियम), झांसी के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 18.05.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष 26 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 14 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध किये जाने की प्रबल सम्भावना होने, पुन अपराध कारित करने में अंशका नहीं होने, बन्दी को और आगे भी जेल में निरुद्ध रखा जाना समीचीन प्रतीत होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.2007 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, देशी पिस्टल व राइफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लखन यादव पुत्र श्री गया प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लखन यादव (बंदी संख्या-15/2024) पुत्र श्री गया प्रसाद, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-858/2026/1903(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-858/2026/1903/22-2-2025-17(612)/2025

दिनांक 01 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लखन यादव पुत्र श्री गया प्रसाद (दिनांक 18.05.2024 तक बंदी की आयु 60 वर्ष) जो ग्राम-मैरी, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का निवासी है। पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.2007 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दुक, देशी पिस्टल व राइफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण जी०एस०टी० नं0-92/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गिरोहबन्द अधिनियम), झांसी के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 18.05.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष 26 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 14 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध किये जाने की प्रबल सम्भावना होने, पुन अपराध कारित करने में अंशका नहीं होने, बन्दी को और आगे भी जेल में निरुद्ध रखा जाना समीचीन प्रतीत होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुलिस को सूचना दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.2007 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, देशी पिस्टल व राइफल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लखन यादव पुत्र श्री गया प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।